

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2019—भाद्र 21, शक 1941

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2019

क्र. एफ-3-5-2017-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) में द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-5-2017-पन्द्रह-1, दिनांक 7 मार्च, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित की गई सोसायटियां, उसके कॉलम (2) में उल्लिखित बैंक द्वारा उसके कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किये जाने पर, स्वीकार एवं नियोजित करेंगी, अर्थात्:—

### अनुसूची

| (1) | (2)                                | (3)           | (4)   |
|-----|------------------------------------|---------------|---|
| 1   | संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक | समिति प्रबंधक | राज्य की समस्त सेवा, वृहत्ताकार, कृषक, आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां. |

No. F 3-5-2017-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and sub-section (3) of Section 54 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and in supersession of this Department's Notification No. F-3-5-2017-XV-1 dated 7th March, 2018, the State Government, hereby, specifies

that the societies mentioned in column (a) of the Schedule below shall accept and employ officers mentioned in column (3) thereof, when deputed by the bank mentioned in column (2) thereof, namely :—

## SCHEDULE

| (1) | (2)  | (3)             | (4)  |
|-----|--|-----------------|--|
| 1   | Concerning District Central Co-operative Bank. | Society Manager | All Primary Agriculture Co-operative Credit Societies consisting of all Services Large scale, Farmers, Lamps of the State. |

क्र. एफ-3-5-2017-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-5-2017-पन्द्रह-1, दिनांक 7 मार्च, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट किए गए बैंक उसके कॉलम (2) में उल्लिखित बैंक द्वारा उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किये जाने पर, स्वीकार एवं नियोजित करेंगी, अर्थात्:—

## अनुसूची

| (1) | (2)   | (3)  | (4)  |
|-----|---|--|--|
| 1   | मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल. | 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी<br>2. प्रबंधक (लेखा)<br>3. प्रबंधक (प्रशासन)<br>4. नोडल अधिकारी (एक से अधिक राजस्व जिलों वाले बैंकों के लिए). | राज्य के समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक. |

No. F 3-5-2017-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and sub-section (3) of Section 54 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and in supersession of this Department's Notification No. F-3-5-2017-XV-1 dated 7th March, 2018, the State Government, hereby, specifies that the banks mentioned in column (4) of the Schedule below shall accept and employ officers mentioned in column (3) thereof, when deputed by the bank mentioned in column (2) thereof, namely :—

## SCHEDULE

| (1) | (2)  | (3)   | (4)   |
|-----|--|---|---|
| 1   | Madhya Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Bhopal. | 1. Chief Executive Officer<br>2. Manager (Accounts)<br>3. Manager (Administration)<br>4. Nodal Officer (for Banks having more than one Revenue Districts) | All District Central Co-operative Banks of the State. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज सिन्हा, उपसचिव.